22

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
09/2017/प्रा.पत्र/2017	07.02.2017	30.05.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–एफ.बी.ओ. श्री रामप्रसाद पुत्र हरगोविन्द नामा जाति छीपा निवासी बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोक मैसर्स नामदेव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
2– मैसर्स नामदेव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी की और से श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 30.05.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10.2016 को समय 1.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नामदेव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एंव प्रोपरायटर की हैसियत से रामप्रसाद पुत्र हरगोविन्द नामा जाति छीपा निवासी बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोक मैसर्स नामदेव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया जो वर्ष 2015–2016 के लिये वैध है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के काउन्टर मे स्टील की ट्रे मे लगभग 20 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)** रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री रामप्रसाद को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रामप्रसाद एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के काउन्टर मे स्टील की ट्रे मे लगभग 20 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)** रखी थी मे से एक ट्रे मे रखी मावा बर्फी को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे मे 2 किलोग्राम मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रामप्रसाद को रू0 480/–अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)**2 किलोग्राम को बराबरा–बराबरा चार भाग तैय़ार कर प्रत्येक भाग को साफ एंव सूखी कॉच की चार शिशियो मे बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी मे 500–500 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

816

Scanned by CamScanner

(23)

हिला–मिलाकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बंद कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1486 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1486 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. रामप्रसाद के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./16/5336 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/659/एक्ट/2016/710 दिनांक 21. 11.2016 अनुसार रामप्रसाद से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)**का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी रामप्रसाद पुत्र हरगोविन्द नामा जाति छीपा निवासी बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोक मैसर्स नामदेव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner